भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-867

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

एनएचपीसी में वेतनमान संबंधी विसंगतियां

867. श्री संतोष कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 01.01.1997 के प्रभाव से मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) में कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के वेतनमान के कार्यान्वयन में विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा तत्संबंधी निवारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विसंगतियों को हटाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 के आदेश के अनुसरण में 01.01.1997 से एनएचपीसी लिमिटेड में बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों के नियमन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है **(अनुबंध-I)**। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29.01.2019 के पत्र के तहत निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को निदेश दे दिए गए थे **(अनुबंध-II)**। एनएचपीसी ने दिनांक 19.03.2019 के एनएचपीसी के कार्यालय आदेश द्वारा सरकार के निर्णय को लागू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वेतन की विसंगतियां समाप्त हो गई हैं।

****

<u>**अनुबंध-I**</u>

लोक सभा में दिनांक 06.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सं. 11/6/2006-डीओ (एनएचपीसी)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 4.4.2006

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)
सेक्टर 33, फरीदाबाद।

विषय: पर्यवेक्षक श्रेणी (एस-2/एस-3) से कार्यपालक श्रेणी (ई-1) और उससे ऊपर की श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एनएचपीसी के बोर्ड का प्रस्ताव।

महोदय,

मुझे निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी के दिनांक 24.02.2006 के अर्धशासकीय पत्र सं. पीडब्ल्यूए-471 (खंड-5)/24 जिसके साथ दिनांक 17.02.2006 को आयोजित एनएचपीसी बोर्ड की 264वीं बैठक की कार्यसूची और उसके कार्यवृत्त जिसमें उपर्युक्त विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया गया था, की प्रति भेजी गई थी, का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए एनएचपीसी के प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। एनएचीपीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां तक न्यायमूर्ति एस. मोहन समिति के दिनांक 25 जून, 1999 के कार्यालय ज्ञापन 2(49)/98-डीपीई (डब्ल्यूसी) की सिफारिशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतनमानों की रेंज का संबंध है, वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने तथा एनएचपीसी के बोर्ड द्वारा विचार किए जाने पर अनुबंध में उल्लिखित अनुसार संशोधित वेतनमानों को अपनाने में इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इसी बीच, इस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में डीपीई को पत्र भेज दिया गया है।

भवदीय,

ह./-
(ए.के. कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यपालकों के वेतनमानों का संशोधन

ग्रेड कोड	डीपीई के मॉडल वेतनमान (मोहन समिति की सिफारिशें)	ग्रेड कोड	एनएचपीसी के मौजूदा वेतनमान	अब प्रस्तावित वेतनमान
	1.1.1997 से		1.1.1997 से	
ई-0	6500-200-11350		विद्यमान नहीं	
ई-1	8600-250-14600	ई-1	8000-225-13400	8000-290-300-330(2)-350-360-370-390-410-420-440-460-470-480-13400
ई-2	10750-300-16750	ई-2	8600-250-14600	8600-330(2)-350-370-380-400-420-430-450-470-490-510-530-540-14600
		ई-2ए	10750-300-16750	10750-420-430-450-470-490(2)-530-540(3)-550(2)-16750
ई-3	13000-350-18250	ई-3	14500-350-18700	13750-550-575-600-610-620-625-685(2)-18700
ई-4	14500-350-18700	ई-4	16000-400-20800	16000-660-685(4)-700(2)-20800
ई-5	16000-400-20800	ई-5	17500-400-22300	17500-630-685(2)-700(4)-22300
ई-6	17500-400-22300	ई-6	18500-450-23900	18500-700(2)-730-750-780-850-890-23900
ई-7	18500-450-23900	ई-7	20000-475-25700	19500-750-810-845-880-910-945-960-25600
ई-8	20500-500-26500	ई-8	20500-500-26500	20500-670(2)-850-900-950-980-980(2)-26500
ई-9	23750-600-28550	ई-9	23750-600-28550	23750-900-950-980(2)-990-28550

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 06.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

<u>अति तत्काल</u>

फाइल सं. 2/1/2014-एच.1 (पार्ट)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 29 जनवरी, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, फरीदाबाद।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नीपको, शिलांग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएनएल, शिमला	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश

विषय:- एनएचपीसी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा एसजेवीएन लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों का 01.01.1997 से नियमन - के संबंध में।

महोदय,

इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों के अधिक्रमण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 तथा 01.09.2006 के आदेशों के अनुसरण में एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, नीपको लिमिटेड तथा टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के 01.01.1997 से अपनाए गए वेतनमानों के नियमन का प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिया है:-

i. विद्युत मंत्रालय का दिनांक 27.12.2013 का पत्र सं. 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड 3
ii. नीपको को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 28.06.2017 का आदेश सं. 2/1/2014-एच1-खंड 3 (पार्ट)
iii. टीएचडीसीआईएल को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 28.06.2017 का आदेश सं. 2/2/2014-एच1 (पार्ट)
iv. एनएचपीसी को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 11.08.2017 का आदेश सं. 6/3/2015-एनएचपीएच (पार्ट 1)
v. सभी विद्युत सीपीएसई को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 30.06.2017 का आदेश सं. 2/2/2014- एच1 (पार्ट)

2. उपरोक्त सीपीएसई को निदेश दिया जाता है कि सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करें।

भवदीय,

(एस. बेंजामिन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स 23324357

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वितीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (एच 1)/उप सचिव (एच-।।)
4. अवर सचिव (एच ।।)/अवर सचिव (एनएचपीसी)/अवर सचिव (वित्त)।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एस.पी.जी. वेरघेसे, निदेशक), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.01.2019 के पत्राचार सं. 4/सीएम/2019 के संदर्भ में।

****